न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार, RAS

निगरानी संख्या : 18/2018

पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर जरिये खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

निगरानीकार,

बनाम

1. ग्राम पंचायत जाटावाली, जरिये सरपंच, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. मुरली देवी बुनकर पत्नी श्री कानाराम बुनकर, जाति–बुनकर, निवासी–ग्राम जाटावाली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर। (मृतक दौराने निगरानी)
   2/1. भंवरी देवी बुनकर पुत्री मुरलीदेवी बुनकर पत्नी श्री कानाराम, जाति–बलाई, निवासी–जाटावाली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकर्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध धारा 157(2) के तहत अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में जारी किया गया है।)

उपस्थितः–

1. श्री मोहन लाल शर्मा, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री बंशीधर जाट, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं0 2/1 की ओर से।
3. अप्रार्थी सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 19-3-19

यह निगरानी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के नाम से नियम 157 (2) में जारी पट्टा सं0 4 बुक सं0 1 दिनांक 08.02.2011 को दस्तावेजों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने बाबत् पेश की गई है।

उक्त आशय की पंचायत निगरानी पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस गैर–निगरानीकार जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई, जो शामिल मिसल कराई गई।

निगरानी के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार को दिनांक 25.01.2012 व 27.01.2012 को उप सरपंच जाटावाली श्री किशोरमल शर्मा, भू.पू. सरपंच रामेश्वर दयाल जागिड, वार्ड पंच पप्पू हाटवाल व सुरेन्द्र जाट, इन्द्रा देवी, फूला, बाबूडी व विमला का एक हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होने दिनांक 01.01.2010 के बाद

Scanned by CamScanner

बाद जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। उपसरपंच किशोरमल शर्मा व वार्ड पंच फूला ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 सरपंच ग्राम पंचायत व सचिव मूलचंद सैनी ने ग्राम जाटावाली मालेरा व डेहरा के पुराने भुखण्डों (मकान) के पट्टे देने के नाम से खाली पट्टों के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये जिनका उपयोग फर्जी तरीके से किया जा कर पट्टे जारी कर दिये गये। उक्त शिकायती पत्रों के बाद निगरानीकार द्वारा अनियमितता की जांच के लिये दिनांक 25.09.2013 को एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा दिनांक 02.01.2014 को अपना जांच प्रतिवेदन पेश किया और बताया किय "श्रीमती मुरली देवी पत्नी श्री कानाराम बुनकर, जाति–बुनकर, निवासी–जाटावाली को 150.00 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है जिसके ग्राम जाटावाली में पुख्ता शामलाती मकान है तथा मुरली देवी चारागाह भूमि में अतिक्रमी है, अतः नियमानुसार पट्टा खारिज किया जावें।" इस प्रकार जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया अप्रार्थी सं0 1 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं0 2 मुरली देवी पत्नी कानाराम बुनकर के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व ग्राम जाटावाली के ख0नं0 697/1117 रकबा 1.26 है0 किस्म आबादी भूमि में पट्टे दिये गये है। उसका नियम 142 में ग्राम पंचायत जाटावाली ने सक्षम प्राधिकारी से प्लान अनुमोदन नही करवाया और पट्टे जारी कर दिये। ग्राम पंचायत जाटावाली की दिनांक 31.01.2012 को हुई ग्राम सभा की बैठक में सभी ग्राम वासियों, वार्ड पंचों व उपस्थित कर्मचारियों की उपस्थिति में प्रस्ताव सं0 5 पारित किया गया जिसमें लिखा गया कि "समस्त ग्रामवासियों ने ग्राम सभा में अवगत करवाया कि जनवरी, 2010 के बाद अगर ख0नं0 697/1117 रकबा 1.26 है0 भूमि में किसी प्रकार की पट्टे दिये गये उनको निरस्त कराने का निर्णय हुआ, सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।" इस प्रकार ग्राम सभा में लिये गये प्रस्ताव 5 के आधार पर भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में जारी पट्टे के पीछे साक्ष्यों में फूला, पप्पू हाटवाल व सुरेन्द्र के हस्ताक्षर है तथा इन तीनों ने अपने शिकायती पत्र में अप्रार्थी सं0 1 सरपंच व सचिव जाटावाली ने खाली पट्टों पर उनसे हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी करने का कथन किया है। अतः ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा जारी वादग्रस्त पट्टा निरस्त किया जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अभिभाषक निगरानीकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा पट्टा सं0 4 बुक सं0 1 दिनांक 08.02.2011 द्वारा जो जारी किया गया है वह निर्णय विधि–विधान, दस्तावेजों के सवर्था विपरीत होने के कारण

Scanned by CamScanner

निरस्त योग्य है। इस संबंध में ग्राम वासियों एवं वार्ड पंच, उप सरपंच द्वारा शिकायती पत्र प्रस्तुत कर निगरानीकार को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मिलकर खाली पट्टों के कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उनका उपयोग फर्जी तरीके से किया जाकर पट्टे जारी किये जाने की शिकायत की गई है। जिसके संबंध में अनियमितता की जांच के लिए दिनांक 25.09.2013 को एक पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी ने दिनांक 02.01.2014 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया वादग्रस्त पट्टा खारिज करने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.01.2012 को ग्राम सभा की बैठक में भी उक्त वादग्रस्त भूमि सहित जनवरी, 2010 के बाद ख0नं0 697/1117 रकबा 1.26 है0 भूमि में दिये गये पट्टें को निरस्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से किया गया है। यहां तक कि अप्रार्थी सं0 2 मुरली पत्नी कानाराम के पक्ष में जारी पट्टे के पीछे साक्ष्यों के हस्ताक्षर वाले सदस्यों ने भी उनसे खाली पट्टों पर हस्ताक्षर करवाकर दुरूपयोग करने की शिकायत की गई है। जांच कमेटी और ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव की पालना में फर्जी तरीके से जारी किये गये पट्टों को निरस्त किया जावें।

अप्रार्थी सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी सं0 2 मुरली देवी पत्नी कानाराम बुनकर दौराने निगरानी फौत होने के कारण उनकी एकमात्र पुत्री भंवरी देवी पुत्री मुरली देवी बुनकर पत्नी कानाराम को रिकार्ड पर लिया गया।

अप्रार्थी सं0 2/1 भंवरी देवी के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 सरपंच ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा विधि के अनुरूप समस्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की गई है। मुरली देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पंचगण की रिपोर्ट दिनांक 08.07.2010 को प्राप्त की गई। प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण के आधार पर दिनांक 08.02.2011 को कोरम के समक्ष प्रकरण रखा जाकर नियमानुसार आपत्ति प्राप्त नही होने पर पंचायत अधिनियम की धारा 157 (2) के तहत नियमानुसार अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता के अवलोकन किया । अप्रार्थी सं0 1 ने राजस्व ग्राम जाटावाली के ख0 नं0 697/1117 रकबा 1.26 हेक्ट0 किस्म आबादी में से पट्टे दिये गये है, परन्तु अप्रार्थी सं0 1 की ओर से प्राप्त रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा समक्ष प्राधिकारी से उक्त भूमि का प्लान अनुमोदन कराया गया हो। ग्राम पंचायत

Scanned by CamScanner

द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को जारी पट्टे के पीछे हस्ताक्षरकर्ता वार्ड पंचों ने प्रार्थी निगरानीकार विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविन्दगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जाटावाली, मालेरा व डेहरा के पुराने भूखण्डों के पट्टे देने के नाम से खाली पट्टों के कागजों पर हस्ताक्षर कराकर उनका उपयोग फर्जी तरीके से किया जाकर पट्टे जारी करने का कथन किया है। प्रार्थी/निगरानीकार को प्रकरण की जानकारी ध्यान में लाये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 25.05.2013 को एक पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। जिसमें जांच कमेटी ने दिनांक 02.01.2014 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं0 2 को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा जारी पट्टा सं 4 दिनांक 8.2.2011 को नियम विरूद्ध जारी किया जाना माना गया है। इसके अलावा दिनांक 31.01.2012 को ग्राम पंचायत जाटावाली में ग्राम सभा की बैठक में भी समस्त ग्राम वासियों द्वारा सर्वसम्मति से जनवरी 2010 के बाद ख0 नं0 697/1117 रकबा 1.26 हेक्ट0 किस्म आबादी भूमि पर दिये गये पट्टों को निरस्त करने का निर्णय पारित किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 ग्राम पंचायत बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपने जवाब/ बहस में निगरानीकार द्वारा कराई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट एवं ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव का खण्डन नहीं किया है। जिससे यह स्वतः ही स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 1 ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा राजस्व ग्राम जाटावाली के ख0 नं0 697/1117 रकबा 1.26 हेक्ट0 किस्म आबादी में से अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा पट्टा सं0 4 बुक सं0 1 दिनांक 08.02.2011 फर्जी तरीके से तैयार पट्टा जारी किया गया है। पट्टे के पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर करने वाले वार्ड पंच गण द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे पर अन्य मामलों के लिए हस्ताक्षर लेकर उनका उपयोग वादग्रस्त पट्टा जारी करने में किया जाने का कथन किया गया है।

अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। राजस्व ग्राम जाटावाली के ख0नं0 697/1117 रकबा 1.26 हे0 भूमि पर ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के नाम से जारी पट्टा सं0 4 बुक सं0 1 दिनांक 08.02.2011 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला-जयपुर (राज.)

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2019.11.26 13:24:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: